अपील सूचना अधिकार संख्या 34/2021 (GCMS 2021/55) RTI No. 41890996693192 श्री नरेश कुमार अग्रवाल निवासी 10 न्य अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

20.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री नरेश कुमार अग्रवाल उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार उसे सजा दिलायी जावे और वांछित सूचना सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.04.2021 को पेश की है।

विभागीय प्रतिनिधि श्री सरेन्द्र शर्मा उपस्थित हुए, उसे सुना गया। विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सूचित किया गया है कि बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना वह निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकता है और बिन्दु संख्या 3 का सम्बन्ध तृतीय पक्ष से होने के कारण उसे नहीं दी जा सकती और बिन्दु संख्या 4 की सूचना उसे दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया गया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 05.02.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. एल.एफ.ए.डी. नि.प्र. 1999-2000 के आक्षेप संख्या की प्रति एवं आक्षेप में वर्णित वसूली से संबंधित बिलों की छाया प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 34/2021

2. उक्त आक्षेप संख्या–7 में हुई वसूली मय ब्याज से संबंधित प्रपत्रों की छाया प्रति।
3. वर्ष 1999–2000 से अब तक निरीक्षण प्रतिवेदन में आक्षेपित की गयी वसूली एवं उसके विपरीत जमा राशि एवं ब्याज से संबंधित प्रपत्रों की छाया प्रतियां।
4. चाही गयी सूचना से संबंधित रिकॉर्ड यदि नष्ट किया गया है तो स्पष्टीकरण की प्रति।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जिपग/लेखा/सू.अ./2021/527 दिनांक 23.02.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 05.02.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 1 से 4 बिन्दु की सूचना चाही थी, जिसको बिन्दुवार प्रति उत्तर नियमानुसारह है।

1. बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना 4 पृष्ठ की हैं।
2. बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना 2 पृष्ठ की हैं।
3. बिन्दु संख्या 3 में चाही गई सूचना उक्त वसूली से संबंधित न होने के कारण अदेयता की श्रेणी में आती हैं।
4. बिन्दु संख्या 4 में चाही गई सूचना के संबंध में किसी प्रकार रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 34/2021

आप द्वारा चाही गई सूचना कुल 6 पृष्ठ होने के कारण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निर्धारित शुल्क किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 27.04.2021 को दिया जा चुका है कि वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना के 6 पृष्ठ हेतु निर्धारित राशि जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं** कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही अपनी राय को बता दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को दिनांक 23.02.2021 को जो उत्तर दिया है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:11 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर